प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति नंबर 77/2020)

तत्काल जारी किए जाने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने

''नेट न्यूट्रैलिटी के लिए ट्रैफिक प्रबंधन पद्धतियों (टीएमपीएस) और बहु–हितधारक निकाय'' पर सिफारिशें जारी की

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2020– भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज एक बहुमंचीय परामर्श प्रक्रिया के बाद '' नेट न्यूट्रेलिटी के लिए ट्रैफिक प्रबंधन पद्धतियों (टीएमपीएस) और बहु–हितधारक निकाय'' पर सिफारिशें जारी की हैं।

2. इससे पहले भादूविप्रा ने नेट न्यूट्रैलिटी पर अपनी सिफारिशें 28 नवंबर 2017 को भारत सरकार को भेज दी हैं। इसमें सामग्री के गैर–भेदभावपूर्ण व्यवहार, गैर–भेदभाव सिद्धांत और बहिष्करणों की प्रयोज्यता, उचित ट्रैफिक प्रबंधन, पारदर्शिता और प्रकटीकरण, निगरानी और प्रवर्तन के लिए एक बहु–हितधारक निकाय की स्थापना आदि का सिद्धांत शामिल था। सरकार ने कुछ परिवर्तनों के साथ सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और दूरसंचार विभाग के पत्र दिनांक 31 जुलाई 2018 और दिनांक 17 जून 2019 के पत्र के माध्यम से ट्रैफिक प्रबंधन प्रथाओं (टीएमपीएस) और बहु–हितधारक निकाय अर्थात '' दूरसंचार विभाग के विचारार्थ आवश्यक ट्रैफिक प्रबंधन प्रथाएं (टीएमपीज़), और संरचना, कार्य, भूमिका, और बहु हितधारक निकाय की जिम्मेदारियॉ'' पर अतिरिक्त सिफारिशें मांगी हैं।

3. ''ट्रैफिक प्रबंधन प्रथाओं (टीएमपीएस) और नेट तटस्थता के लिए बहु–हितधारक निकाय पर इन सिफारिशों तक पहुंचने में, भादूविप्रा ने 2 जनवरी, 2020 को हितधारकों से टिप्पणियां और काउंटर टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए एक परामर्श पत्र जारी किया और विभिन्न मुद्दों को उठाया जैसे कि उचित ट्रैफिक प्रबंधन प्रथाओं (टीएमपीएस) की एक व्यापक सूची तैयार करना ऐसी सूची प्रकाशित करने का ढांचा और तंत्र और हितधारकों की संरचना, कार्य, भूमिका और जिम्मेदारियां इत्यादि। तत्पश्चात दिल्ली में 24 जून 2020 को एक ओपन हाउस डिस्कशन (ओएचडी) का आयोजन किया गया, जिसमें हितधारकों ने भाग लिया और मुद्दों पर विचार–विमर्श किया।

4. इन सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(1) उचित और आवश्यक ट्रैफिक प्रबंधन प्रथाओं (टीएमपीएस) के भंडार के निर्माण के लिए एक प्रक्रिया जो इंटरनेट एक्सेस सर्विस (आईएएस) प्रदाता अपने नेटवर्क पर ट्रैफिक के प्रबंधन के लिए अपना सकते हैं।

(2) दूरसंचार विभाग आईएएस प्रदाताओं के लिए एक नीति बना सकता है ताकि प्रभावित उपयोगकर्ताओं को लागू टीएमपीएस के प्रभाव के बारे में सूचित किया जा सके। आईएएस प्रदाताओं को भविष्य के संदर्भ के लिए टीएमपी को लागू किए जाने के उदाहरणों के पूर्ण और सटीक रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता हो सकती है।

(3) दूरसंचार विभाग सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक गैर–लाभकारी इकाई के रूप में एक बहु हितधारक निकाय (एमएसबी) स्थापित कर सकता है। यह सभी लाइसेंसप्राप्त सेवा प्रदाताओं (यूएएल, वीएनओ लाइसेंस, यूएएसएल और सीएमटीएस लाइसेंसधारियों) को अनिवार्य सदस्य के रूप में पंजीकृत करके शुरूआत कर सकता है, और इसके सदस्य बनने के लिए अन्य हितधारकों को आमंत्रित और/या मनोनीत कर सकता है।

(4). एमएसबी में सामग्री प्रदाताओं के अलावा सभी टीएसपी और आईएसपी (लाइसेंस धारक) और अन्य हितधारक : अनुसंधान, अकादमिक और तकनीकी समुदायः नागरिक समाज संगठनः उपभोक्ताः और सरकार शामिल हो सकते हैं।

(5). एमएसबी की भूमिका नेट तटस्थता सिद्धांतों की निगरानी और प्रवर्तन के संबंध में दूरसंचार विभाग को सलाह और सहायता प्रदान करना होगा। एमएसबी की जिम्मेदारियों में टीएमपीएस के भंडार बनाने और बनाए रखने में दूरसंचार विभाग को सहायता प्रदान करना, नेट तटस्थता के उल्लंघन के संबंध में शिकायतों की जांच करना, इंटरनेट सेवाओं की निगरानी के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना, घटनाओं की जांच करना और इसके सदस्यों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की समीक्षा करना, टीएमपीएस के लिए अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं से संबंधित मामलों पर उपयुक्त तकनीकी मानकों और पद्धतियों की सिफारिश करना आदि शामिल हैं।

(6) एमएसबी के कार्य सभी इंटरनेट एक्सेस सर्विस (आईएएस) प्रदाताओं में टीएमपी के संकलन और सामंजस्य के कार्यों को पूरा करना, टीएमपीएस के भंडार में सूचीबद्ध टीएमपीएस की समय–समय पर समीक्षा करना और टीएमपीएस को लागू किए जाने के संबंध में रिपोर्ट करना, तकनीकी मानक तैयार करना और नेट तटस्थता से संबंधित मामलों में पद्धतियों को परिभाषित करना आदि हैं।

5. सिफारिश का पूरा पाठ भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है। किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, श्री असित कादयान से ईमेल advqos@trai.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।

(एस.के. गुप्ता)
सचिव, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

<u>अस्वीकरण : यह विज्ञप्ति मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति मान्य होगी।</u>